

न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या
15/159/2025

रजि० नं० 2025/
2025/399

प्रवेश तिथि
07.10.2025

निर्णय दिनांक
04.06.2026

1- हरदयाल पुत्र लेखराम जाति अहीर निवासी ग्राम पालपुर की ढाणी तहसील हरसौली जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1- जयदयाल लेखराम जाति अहीर निवासी ग्राम पालपुर की ढाणी तहसील हरसौली जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

2- पतराम उर्फ फत्तूराम पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी ग्राम पालपुर की ढाणी तहसील हरसौली जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

3-पंजाब नेशनल बैंक शाखा पुर जरिये शाखा प्रबंधक पुर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा(राजस्थान)

4- तहसीलदार हरसौली जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपटित धारा 24 दीवानी प्रक्रिया संहिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन उनवान हरदयाल बनाम जयदयाल वगै० अन्तर्गत धारा 53, 188 व 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 34/2025 व 29/2025 को दीगर राजस्व न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपस्थिति:

1- श्री कृष्ण कुमार यादव

वकील प्रार्थी

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह कथन किया गया है, कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 34/2025 व 29/2025 पत्र उनवान हरदयाल बनाम जयदयाल वगै० अन्तर्गत धारा 53, 188 व 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थी द्वारा तहत अदालत के समक्ष अप्रार्थीयान के विरुद्ध पेश किया गया है, अप्रार्थीयान तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से साजबाज हो चुके हैं, अप्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियों से साठगांठ कर साजबाज हो गये हैं। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नहीं है, इसी आधार पर उक्त प्रकरण को किसी अन्य दीगर राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलवी जर्जे नोटिस की गयी एवं तहत अदालत का बिन्दुवार जवाब तलब किया गया।

प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत आधारों पर विचार किया गया। स्थानान्तरण की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग केवल उसी दशा में किया जाता है, जब अभिलेख पर ऐसी ठोस, वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो कि संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, अथवा न्याय के हित में प्रकरण का स्थानान्तरण अनिवार्य है। केवल आशंका, अनुमान,


जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा

असंतोष, या किसी पक्षकार द्वारा लगाए गए सामान्य आरोप, स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते।

प्रार्थी द्वारा यह आरोप अवश्य लगाया गया है, कि अप्रार्थीयान प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियों से साठगांठ कर साजबाज होकर निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, किन्तु इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, ठोस अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय पक्षपाती है, या न्यायिक कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं चलेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण अभी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रार्थिया असंतुष्ट है, तो उसके विरुद्ध विधि में उपलब्ध उपयुक्त उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्थानांतरण का अधिकार इस उद्देश्य से नहीं है, कि कोई पक्षकार केवल अपने मनोनुकूल न्यायालय चुन सके या मात्र आशंका के आधार पर कार्यवाही को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेज दिया जाए।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह भी परिलक्षित नहीं होता कि तहत अदालत को प्रकरण सुनने से विधिक रूप से वंचित करने वाला कोई क्षेत्राधिकार संबंधी, वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक दोष विद्यमान है। न ही ऐसा कोई विशेष कारण सामने आया है, जिससे यह कहा जा सके कि न्याय के हित में स्थानांतरण अपरिहार्य है।

अतः समस्त तथ्यों, प्रार्थना पत्र के आधारों तथा उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थी द्वारा उठाई गई आशंकाएँ केवल सामान्य एवं आरोपात्मक प्रकृति की हैं, जो किसी विचाराधीन प्रकरण को स्थानांतरित करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। प्रार्थिया स्थानांतरण हेतु कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार स्थापित करने में असफल रहा है।

आदेश

फलस्वरूप, प्रार्थी हरदयाल पुत्र लेखराम जाति अहीर निवासी ग्राम पालपुर की ढाणी तहसील हरसौली जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, तहत अदालत विधि अनुसार उनवानी हरदयाल बनाम जयदयाल वगै० राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 व 212 आर.टी. एक्ट संख्या 34/2025 व 29/2025 का विधिवत निस्तारण करें। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला क्लर्क
खैरथल-तिजारा
खैरथल-तिजारा